कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक: 26.07.2026

🔰 थाना मुगलसराय पुलिस द्वारा चोरी के मुकदमे सहित मोबाइल फोन चोरी के अन्य घटना का सफल अनावरण,

🔰 घटना में शामिल वांछित अन्तर्जनपदीय चोरों को किया गया गिरफ्तार,

🔰 गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 08 मोबाइल फोन व एक सफेद धातु की चेन बरामद

पूर्व की घटना:-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.01.2026 को समय लगभग 01:30 बजे रात में ग्राम दरियापुर (पंडितपुरवा) निवासी वादी महेंद्र चौधरी पुत्र हरिदास चौधरी के घर में चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना मुगलसराय पर मु0अ0सं0 24/2026 धारा 305(a) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया था। एफआईआर के अनुसार, वादी के घर से लगभग 30,000 रुपये नगद, एक सोने की चेन, दो सोने की अंगूठी तथा एक चांदी की पायल चोरी हुई थी।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष मुगलसराय विजय प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चोरी की घटनाओं के अनावरण एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश में पुलिस टीम पटनवा तिराहे पर मौजूद थी।

इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना मुगलसराय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 24/2026 का वांछित अभियुक्त अपने एक साथी के साथ हमीदपुर कोनिया नट बस्ती, जलेबी मोड़ के पास मौजूद है तथा पुनः चोरी की घटना कारित करने की योजना बना रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर दोनों व्यक्ति भागने लगे, जिन्हें आवश्यक बल प्रयोग कर मौके पर ही पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.वारिस खान पुत्र शहनवाज खान उर्फ गुड्डू निवासी गोपालपुर थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

2.अन्सार खान पुत्र अख्तर मिट्ठू खान निवासी गोपालपुर थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली बताया।

■ तलाशी के दौरान अभियुक्त वारिस खान के कब्जे से 04 एंड्रॉयड मोबाइल फोन तथा अभियुक्त अन्सार खान के कब्जे से 04 एंड्रॉयड मोबाइल फोन एवं लगभग 10 ग्राम वजन की एक सफेद धातु की चेन बरामद हुई।

■ पूछताछ के दौरान पकड़े गए अभियुक्त वारिस खान ने स्वीकार किया कि वह दिनांक 18.01.2026 की रात दरियापुर स्थित महेंद्र चौधरी के घर हुई इस चोरी की घटना में अपने साथी विशाल गुप्ता के साथ शामिल था। उसने बताया कि चोरी किए गए जेवरात उसके साथी विशाल गुप्ता के पास थे तथा नकदी का कुछ हिस्सा उसके पास था। अगले दिन चोरी के जेवर बेचने जाते समय विशाल गुप्ता को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि वारिस खान मौके से फरार होने में सफल रहा था।

बरामदगी के संबंध में पूछताछ:

गिरफ्तार अभियुक्तों के गिरफ्तारी के दौरान बरामदगी के संबंध में पूछताछ करने पर दोनों अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि बरामद 08 एंड्रॉयड मोबाइल फोन उन्होंने टेंगरा मोड़ बाईपास के आसपास खड़े ट्रकों में सो रहे चालकों की जेब से अलग-अलग अवसरों पर चोरी किए थे तथा बरामद सफेद धातु की चेन रामनगर चौक स्थित देशी शराब की दुकान के सामने नशे की हालत में लेटे एक व्यक्ति के गले से चोरी की थी। दोनों अभियुक्तों ने बताया कि वे नशे एवं ऐशो-आराम की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन अर्जित करने के उद्देश्य से ट्रक चालकों व नशे की अवस्था में पड़े व्यक्तियों को निशाना बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं।

अभियुक्त वारिस खान को पूर्व पंजीकृत मु0अ0सं0 24/2026 में विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया है। वहीं अभियुक्त अन्सार खान के कब्जे से बरामद चोरी के माल के संबंध में प्राप्त तथ्यों के आधार पर उसके विरुद्ध पृथक अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:

1.08 एंड्रॉयड मोबाइल फोन

2.01 सफेद धातु की चेन (वजन लगभग 10 ग्राम)

अभियुक्तों का नाम, पता व अपराधिक इतिहास:-

1.वारिस खान पुत्र शहनवाज खान उर्फ गुड्डू, निवासी गोपालपुर, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

अपराधिक इतिहास:

1.मु0अ0सं0 166/2024 धारा 305/317(2)/317(5)/331(3) बीएनएस, थाना रामनगर, वाराणसी।

2.मु0अ0सं0 223/2024 धारा 305/317(2)/317(5)/331(4) बीएनएस, थाना रामनगर, वाराणसी।

3.मु0अ0सं0 264/2025 धारा 305/317(2)/317(5)/331(4) बीएनएस, थाना रामनगर, वाराणसी।

4.मु0अ0सं0 24/2026 धारा 305(a)/331(4)/317(4) बीएनएस, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

5.मु0अ0सं0 370/2026 धारा 317(2) बीएनएस, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

2.अन्सार खान पुत्र अख्तर मिट्ठू खान, निवासी गोपालपुर, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

अपराधिक इतिहास:

1.मु0अ0सं0 370/2026 धारा 317(2) बीएनएस, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1 विजय प्रताप सिंह, थानाध्यक्ष, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

2.उ0नि0 सूरज रावत, चौकी प्रभारी औद्योगिक नगर, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

3.हे0का0 सनोज सिंह, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

4.हे0का0 अभिषेक सिंह, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

5.का0 सुनील कुमार गुप्ता, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

🔷 थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा पुलिस बल पर पिकअप चढ़ाने का प्रयास करने वाले शातिर गो-तस्कर को घेराबंदी कर किया गया गिरफ्तार

🔷 05 राशि गोवंश, गोवध में प्रयुक्त 01 लोहे का चापड़, मोबाइल फोन एवं बोलेरो पिकअप वाहन (UP65PT 6796) बरामद

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष सैयदराजा अशोक कुमार मिश्रा एवं उ0नि0 लालधर यादव मय पुलिस टीम द्वारा एनएच-2 (एनएच-19) हाईवे पर बरठी कमरौर के पास (नुहू मेवात होटल के सामने) संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी।

इसी दौरान चन्दौली की तरफ से आ रही एक बोलेरो पिकअप (सं0 UP 65 PT 6796) को रुकने का इशारा किया गया। पुलिस टीम को देखकर पिकअप चालक ने वाहन को तेज गति से पुलिस बल पर चढ़ाकर कुचलने व जान से मारने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने त्वरित टैक्टिकल मूव का प्रयोग कर खुद को बचाया, जिसमें कूदने के कारण रिक्रूट आरक्षी ऋषि मिश्रा एवं रिक्रूट आरक्षी राबिन्स विश्वकर्मा को चोटें आईं। अनियंत्रित होकर पिकअप सड़क किनारे डिवाइडर से टकराकर रुक गई। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर चालक को मौके से पकड़ लिया।

गिरफ्तार चालक ने अपना नाम-
साजिद पुत्र शाहबान (निवासी खुटहनिया, थाना करमा, जिला सोनभद्र, उम्र 23 वर्ष)

बरामदगी का विवरण-
05 राशि गोवंश (03 गाय, 02 सांड)
01 बोलेरो पिकअप (पंजीकरण सं0 UP 65 PT 6796)।
ड्राइविंग सीट के बगल से गोवध हेतु प्रयुक्त 01 लोहे का चापड़
अभियुक्त की जामा तलाशी से 01 वीवो टचस्क्रीन मोबाइल, ₹70 नगद बरामद

पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह इन गोवंशों को ग्राम बरकछा (मिर्जापुर) से लादकर बिहार में नसीम शाह (निवासी चैनपुर, भभुआ, बिहार) के यहाँ वध हेतु ले जा रहा था, जिसके बदले

उसे ₹5,000 मिलने वाले थे। आगे एस्कॉर्ट कर रही एक अन्य कार का अज्ञात चालक रास्ते की लोकेशन दे रहा था।

पंजीकृत अभियोग:
मु0अ0सं0 0227/2026 धारा 3/5A/5B/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, धारा 109 बीएनएस, एवं धारा 4/25 आयुध अधिनियम (आर्म्स एक्ट) थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:
साजिद पुत्र शाहबान, निवासी खुटहनिया, थाना करमा, जिला सोनभद्र (उम्र 23 वर्ष)।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:
1.थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्रा, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली।
2.उ0नि0 लालधर यादव, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली।
3.आरक्षी अनिल कुमार यादव, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली।
4.रिक्रूट आरक्षी ऋषि मिश्रा, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली।
5.रिक्रूट आरक्षी राबिन्स विश्वकर्मा, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली।